

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 198] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 1983/अग्रहायण 7, 1905
No. 198] NEW DELHI, MONDAY, NOV. 28, 1983/AGRAHAYANA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 55-ईटीसी(पीएन)/६७

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1983

विषय 1-1-83 से 31-12-83 तक स्वीडन को श्रुत, उन और मानव निर्मित
वस्त्र से निर्मित कुछ तैयार की हुई मदों का खुले सामान्य लाइसेंस-3
के अन्तर्गत निर्यातों के लिए योजना।

मि०स० 2(53)/82-ई० 1—यह सार्वजनिक सूचना उपर्युक्त विषयक सार्व-
जनिक सूचना सं० 20-ईटीसी(पीएन) 83 दिनांक 2 मई, 1983 के अनुक्रम में

है। समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 43-ईटीसी(पीएन) 82 दिनांक 31-12-82 के प्रावधान 1 दिसम्बर, से 31 दिसम्बर, 1983 तक की अवधि के लिए लागू रहेंगे सिवाय यह कि निम्न प्रणालियों के अन्तर्गत 1 दिसम्बर, 1983 को सभी उपलब्ध मात्रा तत्सम्बन्धी वर्गों के लिए शामिल की जाएगी और 1-12-83 से पहले आए सो पहले पाए के आधार पर तैयार मात्रा प्रणाली के अतिरिक्त आबंटन के लिए उपलब्ध करायी जाएगी।

एन०के० सभरवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 55-ETC(PN)|83

New Delhi, the 28th November, 1983

Subject :— Scheme for exports under OGL-3 of certain made-up items made from cotton, wool and man-made fabrics to Sweden from 1-1-83 to 31-12-83.

F. No. 2(53)|82-E-I.—This Public Notice is in continuation of Public Notice No. 20-ETC(PN)|83 dated 2nd May, 1983 on the above subject. The provisions of Public Notice No. 43-ETC(PN)|82 dated 31-12-82 as amended from time to time, will continue to be in force for the period from December, 1 to December 31, 1983 save that all available quantities on 1st December, 1983 under different systems will be merged for respective Groups and made available for allocation under the FCFS Ready Goods System with effect from 1-12-1983.

N.K. SABHARWAL, Jt. Secy.